न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 57 / 2022 निर्णय दिनांकः 13.02.2023

ऑनलाईन नंबन 2022 / 263

बादूदेवी पत्नी स्व. मांगीलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) उम्र 78 वर्ष निवासी बिग्गाबास, वर्तमान वार्ड संख्या 23 श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. ज्यानादेवी पत्नी स्व. धन्नाराम 3. केशरीचन्द 4. गौरीशंकर 5. हरीराम 6. लक्ष्मीनारायण 7. मोटाराम 8. मोहनी 9. सुमित्रा पुत्रगण / पुत्रिया स्व. धन्नाराम जाति कुम्हार प्रजापत निवासीगण बिग्गाबास, वार्ड नम्बर 23 श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 10 ऊषादेवी पत्नी स्व. गणेशमल पुत्र स्व. धन्नाराम जाति कुम्हार प्रजापत निवासीगण बिग्गाबास, श्रीडूंगरगढ 11. रामकन्या 12. रामकिशन 13. अमिसा पुत्र / पुत्रिया स्व. गणेशमल नाबालिगान जरिये अपनी माता ऊषादेवी पत्नी स्व. गणेशमल पुत्र स्व. धन्नाराम जाति कुम्हार प्रजापत निवासीगण बिग्गाबास, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 14. सुमन पुत्री सोहनदेवी पुत्री स्व. धन्नाराम जाति प्रजापत निवासी बिग्गाबास श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर हाल पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चुरू।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

1. श्री गणेशाराम मेघवाल अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राजाराम नैण अभिभाषक अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 14

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 131 एलआरएक्ट</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थिनी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 856 / 145 तादादी 3.54 हैक्टेयर वाकेरोही लखासर में स्थित है। पूर्व में इस खसरा की खातेदारी प्रार्थिनी के जेठ हरदेवा पुत्र फूसा कुम्हार साकिन श्रीडूंगरगढ़ के नाम से रही है जिसके पुराने खसरा नम्बर 43 तादादी 35 बीघा तत्पश्चात् खसरा नम्बर 145 तादादी 5.31 हैक्टेयर वाकेरोही जैसलसर कायम हो गये। प्रार्थिनी के जेठ हरदेवा पुत्र फूसा ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 43 तादादी 35 बीघा वाकेरोही जैसलसर की भूमि में से पूर्वी तरफ की 14 बीघा भूमि को पूर्व में विक्रय कर दी थी तथा शेष 21 बीघा भूमि में से उतरी पश्चिमी 14 बीघा भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 05.05.1998 को प्रार्थिनी के पक्ष में तथा 7 बीघा दक्षिणी पश्चिमी भूमि की वसीयत अपने भाणजे धन्नाराम पुत्र लाधूराम कुम्हार के पक्ष में वसीयत कर दी। उक्त वसीयत के बाद उक्त खेत के खसरा नम्बर 145 तादादी 5.31 हैक्टेयर कायम हो गये तथा पूर्व में विक्रीत भूमि के खसरा नम्बर 146 कायम हो गये।यह है कि वसीयतकर्ता हरदेवा पुत्र फूसा की मृत्यु के बाद उक्त वसीयत के आधार पर प्रार्थिनी ने उक्त खसरा भूमि में उतरी तरफ की 14 बीघा भूमि का इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के यहां दिनांक 02.11.2020 को प्रस्तुत किया जिस पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा वसीयत के आधार पर समस्त कार्यवाही सम्पादित एवं परिपूर्ण करने पर अप्रार्थी द्वारा खेत खसरा नम्बर 145 तादादी 5.31 हैक्टेयर के सम्बन्ध में नामान्तरण दर्ज करने हेतु हल्का पटवारी के नाम दिनांक 24.08.2021 को आदेश जारी किया। उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी जैसलसर द्वारा नामान्तरण संख्या 685 दिनांक [illegible] के जरिये खसरा नम्बर 856 / 145 तादादी 3.54 हैक्टेयर के रूप में प्रार्थिनी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। यह है कि प्रार्थिनी के नाम उक्त खसरा भूमि की खातेदारी दर्ज होने के बाद प्रार्थिनी ने उक्त खसरा की जमाबंदी व राजस्व अक्स की प्रतियां ऑनलाईन के माध्यम से निकलवाई तो प्रार्थिनी को जानकारी हुई कि हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थी के आदेश

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.28 10:50:20 IST
Reason: SelfAttested

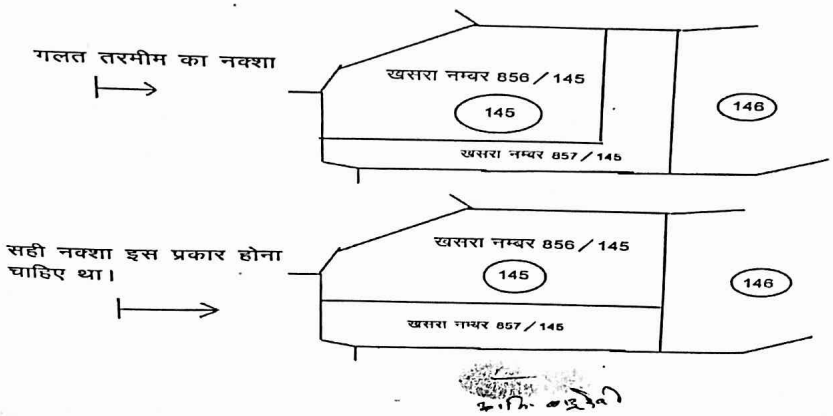

को सही रूप से नहीं समझकर राजस्व अक्स में गलत तरमीम कर दी। प्रार्थिनी के जेठ हरदेवा पुत्र फूसा ने अपनी खातेदारी के पुराने खेत खसरा नम्बर 43 की शेष बची पश्चिमी तरफ की 21 बीघा भूमि में से उतरी दक्षिणी तरफ की 14 बीघा भूमि को प्रार्थिनी के पक्ष में वसीयत की थी तथा शेष 7 बीघा दक्षिणी पश्चिमी भूमि की वसीयत अपने भानजे धन्नाराम पुत्र लाधूराम के पक्ष में वसीयत की थी और उसी अनुसार अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिनी के नाम नामान्तरण दर्ज करने का आदेश दिया गया था। खसरा नम्बर 43 में शेष बची 21 बीघा भूमि में से उतरी पश्चिमी 14 बीघा भूमि का मतलब उतरी तरफ की भूमि से है और दक्षिणी पश्चिमी 7 बीघा भूमि का मतलब उतरी तरफ की भूमि से है और दक्षिणी पश्चिमी 7 बीघा भूमि का मतलब दक्षिणी भूमि से है परन्तु हल्का पटवारी ने इसका अर्थ गलत रूप से लगाते हुए वर्तमान खसरा नम्बर 145 के राजस्व अक्स में प्रार्थिनी के नाम 14 बीघा भूमि को कुछ इस प्रकार से दर्शाया है जो पूर्णतया वसीयत में वर्णित अंकन के विपरीत व गलत है :–

यह है कि हल्का पटवारी द्वारा उपर्युक्त प्रकार से नक्शा अक्स में तरमीम कर दिए जाने से ना तो वसीयत के अनुसार राजस्व अक्स में अंकन हो पाया है व ना ही मौका स्थिति सही हो पाई है। प्रार्थिनी उक्त खसरा भूमि में उतरी तरफ 14 बीघा पर काबिज है तथा दक्षिणी तरफ 7 बीघा पर धन्नाराम के वारिसान काबिज है तथा दक्षिणी तरफ 7 बीघा पर धन्नाराम के वारिसान काबिज है। प्रार्थिनी ने इस जमीन का नक्शा वसीयत के अनुसार दुरूस्त करने हेतु अप्रार्थी से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने दिनांक 16.03.2022 को कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में एक बार तरमीम हो जाने के बाद हम इसे दुरूस्त नहीं कर सकते। आपको अदालत से आदेश लाना होगा। यह है कि प्रार्थिनी के खातेदारी के खेत का नक्शा वसीयत के अनुसार सही नहीं दर्शाने से ना तो प्रार्थिनी के खेत की स्थिति सही रूप से प्रकट हो रही है व ना ही शेष बची 7 बीघा भूमि की स्थिति सही रूप से स्पष्ट हो रही है व गलत तरमीम के कारण प्रार्थिनी को भारी परेशानी हो रही है इसलिए प्रार्थिनी अपने खातेदारी भूमि का नक्शा दुरूस्त करवाने की कानूनन अधिकारिणी है जिसके लिए यह राजस्व अक्स दुरूस्ती का प्रार्थना–पत्र श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि प्रार्थना–पत्र अदालतवाला के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार एवं हर तरह से अन्दर मिंयाद तथा निर्धारित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया [illegible] पुराने खेत खसरा नम्बर 43 से नये कायम हुए खसरा नम्बर 145 तादादी 5.3[illegible] हैक्टेयर [illegible]रोही जैसलसर में उतरी तरफ प्रार्थिनी के खेत खसरा नम्बर 856/145 तादादी 3.54 हैक्टेयर को दर्शित किया जावे तथा शेष 1.77 हैक्टेयर के रूप में बने खसरा नम्बर 857/145 को दक्षिणी तरफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.28 10:50:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

दर्शित किया जाकर राजस्व अक्स को दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जाकर उसकी पालना करवाई जावे।

प्रार्थीनी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 14 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 14 एवं स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने से व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

पुराने खेत खसरा नम्बर 43 से नये कायम हुए खसरा नम्बर 145 तादादी 5.31 हैक्टेयर वाकेरोही जैसलसर में उतरी तरफ प्रार्थिनी के खेत खसरा नम्बर 856/145 को दर्शित किये जाने तथा खसरा नम्बर 857/145 को दक्षिणी तरफ दर्शित किया जाकर राजस्व अक्स को दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 15.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.28 10:30:20 IST
Reason: SelfAttested